(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 371–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 268/अपील/2013–14.

बद्रीलाल दत्तक पुत्र नागू, जाति गारी
निवासी ग्राम चावण्ड
तहसील नागदा जिला उज्जैन ..... आवेदक

विरूद्ध

मांगूबाई पति थावर, जाति गारी
निवासी ग्राम लसूड़िया
तहसील नागदा जिला उज्जैन .....अनावेदिका

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम चावण्ड तहसील नागदा जिला उज्जैन स्थित भूमि सर्वे कमांक 45 रकबा 0.10 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 78 रकबा 2.42 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 115 रकबा 1.13 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 199 रकबा 1.18 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 288 रकबा 1.99 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 244 रकबा 2.04 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 255 रकबा 2.08 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 256 रकबा 1.06 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 257 रकबा 0.88 हेक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 12.88 हेक्टेयर के 1/2 भाग अर्थात 6.44 हेक्टेयर पर वसीयतनामा के आधार पर गंगाबाई के स्थान पर नामान्तरण किये जाने

हेतु नायब तहसीलदार, टप्पा उन्हैल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–6/2008–09 दर्ज कर दिनांक 30–6–10 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि 6.44 हेक्टेयर पर गंगाबाई के स्थान पर उसकी वारिसान अनावेदिका मांगूबाई का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–5–2014 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–2–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर तहसीलदार के आदेश स्थिर रखते हुए द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा उठाये गये वैधानिक बिन्दुओं का निराकरण किये बिना तथा अभिलेख का सही रूप से परीक्षण किये बगैर अपील निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक बिन्दु पर भी विचार नहीं किया है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक गंगाबाई का दत्तक पुत्र है तथा गंगाबाई द्वारा विधिवत आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि की वसीयत की है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, और प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में सहखातेदारों को कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि प्रत्यावर्तन आदेश का अक्षरशः पालन करना अधीनस्थ न्यायालय का विधिक दायित्व है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत आदेश पारित किया गया है, क्योंकि उनके समक्ष प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत था, किन्तु उनके द्वारा बिना साक्ष्य लिये, बिना अंतिम तर्क सुने, प्रकरण में आदेश पारित किया गया है । यह

भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को स्व. गंगाबाई द्वारा गांव व समाज के व्यक्तियों की उपस्थिति में विधिवत गोद लिया गया था, और गोदी पुत्र के नाते आवेदक द्वारा ही सारा उत्तरकार्य किया गया था । स्व. गंगाबाई ने प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर अनावेदिका द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी, और स्व. नागूजी के स्थान पर गंगाबाई का नामांतरण हो गया था, जो अंतिम हो चुका था । अनावेदिका गंगाबाई की पुत्री की पुत्री है इसलिए अनावेदिका गंगाबाई की उत्तराधिकारी नहीं है, केवल आवेदक ही एकमात्र उत्तराधिकारी है, इस विधिक प्रश्न का निराकरण किये बिना आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैधानिक भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा आवेदक के विरूद्ध व्यवहार वाद क्रमांक 37ए/93 भी प्रस्तुत किया गया था, जो 16–8–93 को निराकृत हुआ है, और उसकी अपील अतिरिक्त जिला जज द्वारा दिनांक 19–12–97 को निरस्त कर दी गई है । इस स्थिति पर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5–अ/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30–6–88 को प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी गंगाबाई के स्थान पर नन्दीबाई का नामान्तरण स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक एवं अन्य द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–10–91 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा होने से हितबद्ध पक्षकार मान्य करते हुए विज्ञप्ति का प्रकाशन विधिवत नहीं किया जाना एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना ठहराते हुए राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त कर हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देकर नियमानुसार जांच की जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । यहां यह उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलित रहने के दौरान नन्दीबाई की भी मृत्यु हो गई और उसके वारिसान के रूप में केशर पिता नन्दा गारी,

अनावेदिका मांगू बाई पति थावरजी को अभिलेख पर ले लिया गया । प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में अमल हेतु लिखे जाने के निर्देश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर ने दिनांक 21–9–92 को आदेश पारित कर मुख्यतः यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि पर गंगाबाई का नाम पूर्ववत रहना चाहिए निगरानी निरस्त की । तहसील न्यायालय के प्रकरण के पृष्ठ 43 पर नायब तहसीलदार के आदेश की प्रति संलग्न है, जिससे परिलक्षित होता है कि प्रकरण अनावेदिका की अनुपस्थिति में दिनांक 19–12–95 को अदम पैरवी में खारिज हो गया । इसके पश्चात प्रकरण आगे चलाने का प्रयास अनावेदिका द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमि पर गंगाबाई का नाम दर्ज रहा । अनावेदिका द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 16–8–93 को आदेश पारित कर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, उसकी अपील भी निरस्त हुई है । अनावेदिका द्वारा लगभग 10 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और बाला–बाला प्रश्नाधीन भूमि पर ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव कमांक 07 पर दिनांक 15–9–2005 को आदेश पारित कराकर प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया गया, जो स्वच्छ हाथों से की गई कार्यवाही नहीं है और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–12–2006 को को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 15–9–2005 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है ।

5–ब/ अपर तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर तहसीलदार द्वारा साक्ष्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष के साथ आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर अनावेदिका का प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया है कि आवेदक को वसीयतनामा एवं गोदनशी का रस्म याद है, परन्तु वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक याद नहीं है और पिता का नाम बगदीराम लिखा है, यदि गंगाबाई द्वारा गोद लिया जाता तो पिता का नाम नागूजी लिखा होता । वादी अपना वाद प्रमाणित नहीं कर सका जबकि अनावेदिका गंगाबाई की वारिस है, जो अपने स्थान पर उचित नहीं है । कारण,

प्रथमतः अपर तहसीलदार के संज्ञान में पैराग्राफ 5–अ में उल्लिखित वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति संज्ञान में आने पर उसका न तो आदेश में उल्लेख किया गया है और न ही उस पर विचार किया गया है । द्वितीय वसीयतनामा के सम्बन्ध में साक्ष्य ली जाकर उसका उल्लेख तो आदेश में किया है, परन्तु उसका विवेचन आदेश में नहीं किया, जबकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के अन्तर्गत वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है । वसीयतनामा को देखने से स्पष्ट है कि वसीयतनामा पर अनेक साक्षियों ने हस्ताक्षर किये हैं । वसीयत के साक्षी कालू, उदा एवं लक्ष्मण द्वारा वसीयतनामा को अपने कथन से प्रमाणित किया है । इस सम्बन्ध में 1999 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट 102 पूंजीबाई (श्रीमती) विरूद्ध केवल बाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''बिल–वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित की जाना सम्यक रूप से साबित–दो साक्षियों द्वारा सत्यापित, जिन्होने निष्पादित किया जाना स्वीकार किया–शारीरिक और मानसिक स्वस्थ दशा भी साबित–बिल साबित ।''

इसी प्रकार 1989 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नं. 234 मांगीलाल विरूद्ध ज ा बाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''Evidence Act 1872-S. 68-will-Proved by two attesting witnesses-will is a proved document.''

उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रमाणित था, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर वसीयतनामा को संदिग्ध मानकर न्याय एवं विधि की गम्भीर भूल की गई है कि आवेदक ा गोदनशी की रस्म और वसीयत निष्पादन का दिनांक तो याद है, परन्तु गंगाबाई की मृत्यु दिनांक याद नहीं है । जहां तक गंगाबाई द्वारा आवेदक को गोद लिये जाने का प्रश्न है, ऊपर उल्लिखित सभी साक्षियों द्वारा आवेदक को गंगाबाई द्वारा गोद लेना कथन में स्वीकार किया है । स्वयं अनावेदिका द्वारा अपने कथन में कृषि कार्य आवेदक द्वारा किया जाना स्वीकार किया है । अतः गंगाबाई द्वारा आवेदक को गोद लिया गया है, इस तथ्य से इन्कार नहीं

किया जा सकता है । वैसे भी आवेदक का मुख्य आधार वसीयतनामा है तथा ऐसी स्थिति में गोद लिया जाना अथवा न लिया जाना गौण हो जाता है ।

5–स/ उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर अनावेदिका का वारिसाना नामान्तरण करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के विधि विपरीत एवं अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–2–2015, अनुविभागीय अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2014 एवं अपर तहसीलदार, टप्पा उन्हैल तहसील नागदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2010 निरस्त किये जाते हैं । राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर